पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752–240752, 240712 website : pssou.ac.in

क्र. 617 /स्था./प्रशा./2021 बिलासपुर, दिनांकः 18/11/2021

//अधिसूचना//

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद की बैठक संख्या 04/नियमित/2021, दिनांक 28.07.2021 के प्रस्ताव क्रमांक 05 में विश्वविद्यालय अध्यादेश भाग – "H" Minimum Qualification for Non-Teaching Class I & II Posts (गैर शैक्षणिक) सीधी भर्ती/पदोन्नति नियम, 2021 के अनुमोदन पश्चात् इस विश्वविद्यालय के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

मा. कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्र. 618 /स्था./प्रशा./2021 बिलासपुर, दिनांक 18/11/2021

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. विभाग प्रमुख/प्रभारी .... को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

प्रमुख
स्थापना/प्रशासन

PART-H. Minimum Qualification for Non-Teaching Class I & II Posts.

H.1 Non-Teaching (1st&2nd class) Direct Recruitment/Promotion/Timescale Rule, 2021

H.1(A) REGIONAL DIRECTOR (Professor Grade)

Eligibility (A or B):

A.

i) An eminent scholar with Ph. D. degree in the subject concerned or in an allied/relevant subject and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work, with a minimum of 10 publications as books and/ or research/policy papers in the peer-reviewed or UGC listed journals and a total research score of at least 120 as per the criteria given by UGC.

ii) A minimum of ten years of teaching/ODL development, experience in a University or Assistant/Deputy Regional Director of open University.

Or

B. An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contribution to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, to be substantiated by credentials.

H.1(B) PERSONAL SECRETARY TO VICE CHANCELLOR

In case, Higher Education Department did not decide the qualification of PS to VC, following qualification will be applicable.

Qualification and Attributes

i) Candidate should be a first class Post-Graduate from any recognized university.

ii) A minimum working experience of 3 to 5 years working with class 1 officer.

iii) Microsoft office systems and other related software knowledge.

iv) Excellent communicator, a good listener and dedicated to detail.

v) Able to work perfectly under strict deadlines.

vi) Able to take up emergency assignments and perform them effectively.

vii) Upholds sound work ethics and is highly disciplined.

viii) Able to work with minimal supervision, independently or as part of a team.

The post holder will be expected to provide a confidential and professional personal assistant support service to the Vice-Chancellor. The post holder will report to and work directly with the Vice-Chancellor to frame internal and external activities. This is a senior post offering excellent development opportunities within a diverse and complex environment.

Desirable/Preference:-

i) Work experience in Open University will be preferred.

H.1 (C) HEAD OF COMPUTER CENTER

Qualification:- As per CG State Government rules.

H.1(D) SYSTEM ENGINEER

Qualification:- As per CG State Government rules.

H.1(E) UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / LIBRARIAN IN ASSISTANT LIBRARIAN GRADE

Qualification:- As per UGC Norms.

H.1(F) ASSISTANT ENGINEER

Qualification:- As per CG State Government rules.

H.1(G) COMPUTER PROGRAMMER

Qualification:- As per CG State Government rules.

H.1(H) TECHNICAL ASSISTANT

Qualification:- As per CG State Government rules.

H.1(I) MEDICAL HEALTH OFFICER

Qualification:- As per CG State Government rules.

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/ पदोन्नति/समयमान नियम, 2021

(संदर्भः पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25 एवं उनके संगत बनाए गए परिनियमों के प्रावधानों के अधीन रहतें हुए विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति/पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु प्रवृत्त)

(1) विश्वविद्यालय को राज्य शासन से सेटअप में स्वीकृत अशैक्षणिक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों में नियमित नियुक्ति/पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	पदोन्नति	शासन से स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति	नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्रीय निदेशक	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार
2	परीक्षा नियंत्रक	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 18 द्वारा निर्धारित
3	निज सचिव, कुलपति	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित। या छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित न होने की दशा में विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार।
4	हेड ऑफ कम्प्यूटर सेंटर	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।
5	सिस्टम इंजीनियर	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।
6	सहायक ग्रंथपाल /ग्रंथपाल सहायक ग्रंथपाल के वेतन मान पर	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार
7	सहायक यंत्री	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	राज्य शासन द्वारा निर्धारित
8	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।

9	तकनीकि सहायक	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।
10	चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी	राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित	–	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।

1.1 विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक अधिकारियों को राज्य शासन के नियमानुसार क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।

1.2 विश्वविद्यालय परिनियम 13 की परिशिष्ट में उल्लेखित पदनाम को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित वेतनमान एवं अन्य लाभ देय होंगे।

1.3 विश्वविद्यालय के समस्त नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में छ.ग. शासन के समस्त आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

1.4 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अशैक्षणिक पदों में समय–समय पर पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता में किए गये परिवर्तन को संबंधित परिनियम / नियम में स्वमेव समाहित माना जावेगा।

1.5 यह भी कि उपरोक्त अशैक्षणिक पदों में जहां राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कोई न्यूनतम अर्हता निर्धारित नहीं की गई हो, वहां पर कार्यपरिषद् द्वारा तय शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी।

2. <u>विभागीय पदोन्नति / क्रमोन्नति समिति</u> –

(2.1) अशैक्षणिक पदों (कंडिका 1) हेतु विभागीय पदोन्नति / क्रमोन्नति हेतु एक समिति होगी, जिसका गठन निम्नांकित अनुसार होगा–

(1) कुलपति या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति – अध्यक्ष।
2) कार्यपरिषद के द्वारा स्वयं में से नामांकित एक सदस्य / वरीयतः इग्नु सदस्य – सदस्य।
(3) विवि का वरिष्ठ शिक्षक – सदस्य।
(4) अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि – सदस्य (आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार)
(5) अनु. जनजाति प्रतिनिधि – सदस्य
(6) अनु. जाति प्रतिनिधि – सदस्य
(7) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि – सदस्य
(8) महिला प्रतिनिधि – सदस्य
(क्रमांक 3 से 8 तक का नामांकन कुलपति द्वारा किया जायेगा)

(2.2) समिति की बैठक विश्वविद्यालय परिनियम 13 के अनुसार समय–समय पर आहूत की जा सकेगी।

(3) **चयन समिति का गठन – परिनियम 11 के उपबन्धो के अधीन**

(3.1) <u>गैर शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु</u> चयन समिति निम्नानुसार होगी–

1. कुलपति या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति – अध्यक्ष।
2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य।
3. कार्यपरिषद के द्वारा स्वयं में से नामाकित एक सदस्य।
4. अल्प संख्यक वर्ग प्रतिनिधि – सदस्य (कुलपति द्वारा नामांकित)
5. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधि – सदस्य (कुलपति द्वारा नामांकित)
6. महिला प्रतिनिधि – सदस्य (कुलपति द्वारा नामांकित)

- चयन समिति में क्रमांक 4, 5 एवं 6 अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा चयन की प्रकिया में मूल्यांकन में भाग नहीं लेंगे।

(4) सीधी भर्ती परिवीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से मानी जावेगी, किन्तु यदि एक ही आदेश के तहत अनेक कर्मचारियों की एक साथ नियुक्ति की गई हो, उनकी आपस में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति आदेश की वरीयता क्रम में किया जाएगा।

(5) नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी परीवीक्षा की समाप्ति पर गुणानुक्रम के अनुसार स्थायीकरण में बरकरार रखी जायेगी। किन्तु यदि किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की जाती है। तो उसका स्थायीकरण तीन वर्ष के बाद की तिथि से होगा तथा उसकी वरिष्ठता का निर्धारण आदेश देने वाले प्राधिकारी के विवेकाधीन होगा। यह चाहे तो बाद में स्थायीकरण की तिथि से वरिष्ठता दे अथवा समान्य परीवीक्षा अवधि की समाप्ति की तिथि से।

(6) **पदोन्नत कर्मचारी :–**

कोई पदोन्त विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी ज्येष्ठता की गणना उस सेवा में जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है अपनी स्थायीकरण की तारीख से करेगा तथा पद क्रम सूची में उस सेवा के अंतिम स्थायी सदस्य के ठीक नीचे किन्तु परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के ऊपर रखा जावेगा।

परंतु जहां दो या अधिक पदोन्त विश्वविद्यालय कर्मचारी की एक ही तारीख को स्थायीकरण की जाती है तो नियुक्ति अधिकारी उस सेवा में जिसमें उन्हे स्थायी किया गया है उनकी परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम में जिसमें पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्त का अवधारण करने के लिए तैयार की गई योग्यता क्रम सूची में यदि कोई हो, शामिल किये गये हों और उनकी निचली सेवा में जिसमें व पदोन्नत किये गये है अपेक्षित ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जावेगी।

(7) **आचरण नियम :–**

विश्वविद्यालय अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 के अंतर्गत निर्मित परिनियम 13 में वर्णित आचरण नियम विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर लागू है किन्तु इसमें वर्णित प्रावधान अत्यंत संक्षिप्त है। अतः विश्वविद्यालय कर्मचारियों के प्रकरणो के निपटारा हेतु छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की समय–समय पर उनमें सुधार लागू होंगे। (आधार म.प्र. सिविल सेवा) (आचरण नियम 1965)

(8) **गोपनीय प्रतिवेदन** :— विश्वविद्यालय कर्मचाारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का लेखन एवं उनकी प्रक्रिया तथा टीकायें सामान्य पुस्तक परिपत्र खण्ड एक में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा उनके लिये किये गये सुधारों के अनुरुप लागू होगी।

(9) **आयु सीमा** :— अशैक्षणिक पदों में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तत्समय घोषित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा लागू होगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों/नियमों के अनुसार दी गई छूट नियमानुसार लागू होगी।

(10) शासन द्वारा निर्धारित कम आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(11) इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे किसी भी पद के लिये अर्ह नहीं होंगे।

(12) इस नियम में उल्लेखित समस्त प्रक्रिया या अन्य शर्तो को विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय को होग, जो पूर्णतः बन्धनकारी होगा।

.... 0000...........